लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./एनसी/एफ/16/न.सं./क्रमो./2021/ 428 भोपाल, दिनांक 8/3/21
प्रति,

(1) संभागीय संयुक्त संचालक (समस्त)
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :- स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये गये लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में।

:: 00 ::

स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये जाने के प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त नियम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये गये लोक सेवकों को जिनके द्वारा 12 वर्ष की सेवा दिनांक 01.07.2018 अथवा इसके बाद पूर्ण की गई है तो उन लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने संबंधी निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात् जारी किये जा सकेगें। यदि किसी जिले अथवा संभाग द्वारा दिनांक 01.07.2018 अथवा इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये है तो ऐसे आदेश शासन के बगैर सक्षम निर्देश जारी हुए ही स्वीकृति आदेश नियमानुकूल नही हैं। अतः उक्त समस्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन स्थगित रखा जाये।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्र./एनसी/एफ/16/न.सं./क्रमो./2021/ 429 भोपाल, दिनांक 8/3/21
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश